लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4144
19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वदेशी कॉटन मिल्स का पुनरुद्धार

4144. श्री राजीव राय:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मऊ स्थित स्वदेशी कॉटन मिल्स का प्रचालन एक दशक से भी अधिक समय से बंद कर रखा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार निकट भविष्य में इसके पुनरुद्धार और पुनः खोलने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार मऊ शहर के मध्य में स्थित इस भूमि पर कोई वैकल्पिक उद्योग स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो मऊ क्षेत्र की बेहतरी के लिए इस परिसंपत्ति का लाभकारी उपयोग करने की सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) और (ख) : मऊनाथ भंजन में स्वदेशी कॉटन मिल का द स्वदेशी कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1986 के माध्यम से राष्ट्रीयकरण किया गया था और उसे राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड (एनटीसी) के अधीन लाया गया था। तकनीकी अप्रचलन, अतिरिक्त जनशक्ति, खराब उत्पादकता आदि के कारण, 1990 के दशक की शुरुआत में एनटीसी मिलों का वास्तविक मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया था, जिसके कारण वर्ष 1993-94 में रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को संदर्भित करना आवश्यक हो गया था और इसके बाद एनटीसी को रुग्ण घोषित कर दिया गया था। बीआईएफआर द्वारा एनटीसी की पुनरुद्धार योजना के अनुमोदन के अनुसार, मऊनाथ भंजन में स्वदेशी कॉटन मिल्स को संयुक्त उद्यम (जेवी) रूट के माध्यम से आधुनिकीकरण के लिए तैयार किया गया था। तदनुसार, एनटीसी ने संयुक्त उद्यम रुट के माध्यम से मऊनाथ भंजन में स्वदेशी कॉटन मिल्स के साथ-साथ अन्य 10 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। 240 दिनों के निर्धारित समय के भीतर रणनीतिक भागीदारों द्वारा विभिन्न लेनदेन दस्तावेजों का पालन न करने के कारण उक्त समझौता ज्ञापन दिनांक 14.09.2010 को रद्द कर दिया गया था। वर्तमान में, यह मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णयाधीन है।

(ग) और (घ): चूंकि यह मामला न्यायालय में निर्णयाधीन है इसलिए इस स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

******